(40)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-05-11/2016 – 2138 दिनांक :– 07/08/17

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे० मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 623दिनांक 28.07.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो सीधे आपको भी ज्ञापित है का कृपया स्मरण किया जाय। विषयगत प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्तन विभाग का पत्रांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा किये गये तीन बिन्दुओं पर पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन/अभिलेख समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही विषयक परियोज़ना में CWLW के मंतव्य हेतु अपने स्तर से मंतव्य समर्पित करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

7/8

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

04.08 5/08

MOMENTUM JHARKHAND

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–16/2017– वo पo, राँची, दिनांक–

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

1897
28/7/17

विषय :– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल–14.17 हे0 मात्र अधिसूचित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–448 दिनांक–08.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के आलोक में प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :–

(क) प्रस्ताव के पार्ट–I की कंडिका–B-2.4 में Component wise break up के कॉलम में तथा कंडिका–M-1(c) में खनन पट्टा के अंदर अवस्थित वनभूमि के रकबा में सुधार करने की आवश्यकता होगी।

(ख) वन संरक्षक, हजारीबाग, प्रादेशिक अंचल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के उत्तर में अवस्थित Water body के लिए सेफ्टीजोन 15 मीटर करते हुए Component wise break up में सुधार आवश्यक होगा।

(ग) क्या यह Site specific project है ?

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–16/2017– 3105 वo पo, राँची दिनांक– 27/07/17

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/17

सरकार के उप सचिव

E/16-वनभूमि LETTER-280

(5)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 623 दिनांक 28/7/17

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग / मेसर्स रामचन्द्र मेहता, प्रयोक्ता अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में राज्य सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित प्रतिवेदन बिन्दुवार अविलम्ब अपने मंतव्य के साथ भेजने की कृपा की जाय।

28/7/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

28.7.17

O/C